



State Health Society, Bihar



अवधि विस्तार की सूचना

बिहार राज्य के सभी जिलों में बेसिक लाईफ सपोर्ट निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के परिचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित

पी०आर० 5203 (नि०नि०) 2014-15 द्वारा विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणों से दिनांक 22/09/2014 तक विस्तारित किया जाता है।

इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/एजेन्सी सभी विवरणी के साथ दिनांक 22/09/2014 तक अपराह्न 03.00 PM बजे तक अपना प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/कुरियर/हाथों-हाथ के माध्यम से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय तक प्राप्त सभी आवेदनों को दिनांक 22/09/2014 को अपराह्न 4.00 PM बजे खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर "बेसिक लाईफ सपोर्ट निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के परिचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति" अंकित होना चाहिए। प्रस्तावों, बोलीदाताओं की पात्रता के आधार पर एम्बुलेन्स सेवा के परिचालन के लिए शार्टलिस्ट किया जायेगा।

रूचि की अभिव्यक्ति का हिन्दी अनुवाद (<http://www.statehealthsocietybihar.org/>) पर उपलब्ध है।

किसी भी अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति



State Health Society, Bihar



परियोजना की रूपरेखा

1.1 परियोजना पृष्ठभूमि

चिकित्सकीय आपातकाल की स्थिति भी कहीं भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। भारत में प्रतिदिन लगभग 3 लाख लोग चिकित्सकीय आपातकाल की स्थिति का सामना करते हैं। लगभग 24 लाख लोगों की मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना, यौन शोषण आदि से हो जाती है। उनमें से लगभग 80 प्रतिशत मृत्यु आकस्मिकता के पहले घंटे में हो जाती है। अतः Emergency Response Service (ERS) System की स्थापना नितांत आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में बिहार में 102 टॉल फ्री नम्बर के तहत मरीजों के इमरजेन्सी रेफरल ट्रांसपोर्ट हेतु एम्बुलेन्स सेवा स्थापित की गई है। इसके साथ ही 108 एवं 1099 (जो दोनों ही टॉल फ्री नम्बर हैं) के माध्यम से भी एम्बुलेन्स सेवा परिचालित की जा रही है। जिससे आमजनों को लाभ पहुँचाना सम्भव हो पा रहा है।

1.2 परियोजना के उद्देश्य

परियोजना के मूल उद्देश्यों में सम्मिलित हैं।

- समाज के चुने हुए वर्गों को मुफ्त एवं व्यापक Emergency Response Service (ERS) System उपलब्ध करवाया जाना।
- गर्भवती माताओं, नवजात शिशुओं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों, कालाजार के रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह सेवा पूर्ण रूपेण मुफ्त रखा जाना परियोजना के प्रमुखतम उद्देश्यों में सन्निहित है।
- मूल रूप से सहस्राब्दि विकास लक्ष्यो एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांकों में यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि में प्रभावशाली गुणोत्तर सुधार प्रभावशाली एवं व्यापक Emergency Response Service (ERS) System के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रस्तावित एम्बुलेन्स सेवा GPS/GIS (एम्बुलेन्स निगरानी एवं tracking प्रणाली के साथ) संचार के नवीनतम तकनीक से लैस रहेगी। उनमें GSM, GPRS, Call Management Performance Managing & Reporting System आदि तकनीक प्रमुखतम होंगी।
- सभी एम्बुलेन्स का परिचालन पटना में केन्द्रीयकृत 24x7 घंटे कॉल सेन्टर के माध्यम से किया जायेगा।



State Health Society, Bihar



- संक्षेप में सेवा प्रदाता के द्वारा लगभग 266 वातानुकूलित एम्बुलेन्स, चालक एवं ई०एम०टी० आवश्यक दवाओं एवं उपकरण के साथ विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों को उपलब्ध करवाया जायेगा। उन वाहनों का परिचालन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा स्थापित माप-दण्डों के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जायेगा।
- यह सुविधा पूर्ण रूपेण आम जनता को (चयनित श्रेणी के मरीजों को) मुफ्त उपलब्ध करवाई जायेगी। सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराई जा रही सेवा के बदले दी जाने वाली राशि की विस्तृत रूपरेखा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- सेवा प्रदाताओं को कॉल सेन्टर से कॉल प्राप्त होने के उपरांत शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट में एम्बुलेन्स प्रभावित क्षेत्र में पहुँचाया जाना निर्धारित होगा। किसी भी परिस्थिति में GPS को बन्द किया जाना, कॉल को नहीं प्राप्त किया जाना अथवा किसी भी मरीज के यहाँ किसी भी कारण से नहीं जाना स्वीकार्य नहीं होगा।

2. निविदादाताओं को दिये जाने वाले महत्वपूर्ण निदेश:-

निविदादाताओं को संसूचित किया जाता है कि इस रूचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित होने से पूर्व इस कागजात का गहन अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति किसी भी त्रुटिपूर्ण विश्लेषण के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

2.1 परिभाषाएँ:-

इस दस्तावेज में निम्नांकित शब्दों का अर्थ निम्नवत होगा:-

अनुबंध का तात्पर्य सफल निविदादाता एवं राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाले अनुबंध से होगा।

अधिकृत प्रतिनिधि का तात्पर्य किसी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा एजेन्सी से होगा।

Affiliate का तात्पर्य किसी होल्डिंग कम्पनी अथवा किसी भी कम्पनी से होगा जो इस अनुबंध के किसी होल्डिंग कम्पनी का Subsidiary हो। होल्डिंग कम्पनी या Subsidiary कम्पनी Companies Act 1956 के Section-4 में परिभाषित है।

"Bidder" का तात्पर्य Bidding Company, Bidding Registered Society, Proprietorship firm, Partnership firm (Registered) अथवा Bidding Consortium submitting the Bid से होगा। Bidder का तात्पर्य Bidding Company / Registered Society, Proprietorship firm, Partnership firm (Registered), Bidding Consortium/ Consortium, Member of a Bidding Consortium including its successors, executors and permitted assigns and Lead Member of the Bidding Consortium jointly and severally, से भी होगा।

"Bidding Company" का तात्पर्य वैसी कम्पनी से होगा जिसने इस रूचि की अभिव्यक्ति पर ससमय अपना प्रस्ताव समर्पित किया है।



State Health Society, Bihar



"Bidding Consortium" अथवा "Consortium" का तात्पर्य कम्पनियों के ऐसे समूह से होगा जिसने ससमय अपना प्रस्ताव इस रूचि की अभिव्यक्ति के आलोक में समर्पित किया हो।

"Chartered Accountant" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो भारत अथवा किसी फर्म में Chartered Accountant(s) (within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949) के रूप में कार्यरत हो।

"Company" का तात्पर्य a body incorporated in India under the Company's Act, 1956. से होगा

"Conflict of Interest" का तात्पर्य मूल रूप से वर्णित है। Bidder may be considered to be in a Conflict of Interest with one or more Bidders in the same bidding process under this EOI if they have a relationship with each other, directly or indirectly through a common company / entity, that puts them in a position to have access to information about or influence the Bid of another Bidder.

"Contract" /अनुबंध समानान्तर रूप से इस्तेमाल किये जा सकेंगे।

"Corrupt Practice" का तात्पर्य the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value or influence the action of a public official in the process of Contract execution से होगा।

"Documentary evidence" का तात्पर्य any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures अथवा marks intended to be used for the recording of that matter and produced before a court से होगा।

"Default Notice" का तात्पर्य the written notice of Default of the Agreement issued by one Party to the other in terms hereof से होगा।

"Fraudulent Practice" का तात्पर्य a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or the execution of a Contract and includes collusive practice among IAs (prior to or after Bid submission) designed to establish Bid prices at artificial non-competitive levels and to deprive SHS, Bihar and / अथवा GoB of the benefits of free and open competition से होगा।

"Good Industry Practice" का तात्पर्य The exercise of that degree of skill, diligence and prudence which would reasonably and ordinarily be expected from a reasonably skilled and experienced BIDDER engaged in the same type of undertaking under the same or similar circumstances से होगा।

"Govt./GoB/Government/Govt. of Bihar" का तात्पर्य Government of Bihar से होगा।



State Health Society, Bihar



“**Law**” का तात्पर्य Act ,notification, bye-laws ,rules and regulations, directive, ordinance, order or instruction having the force of law enacted or issued by the Government of India or State Government of Bihar or regulatory authority or political sub-division of government agency से होगा।

“**LOI**” का तात्पर्य issuing of Letter of Intent which shall constitute the intention of the Tenderer to place the purchase order with the successful BIDDER से होगा।

“**Party**” का तात्पर्य Govt. अथवा BIDDER individually and “**Parties**” shall mean Govt. and BIDDER collectively से होगा।

“**PBC**” का तात्पर्य Pre-Bid Conferenc से होगा।

“**Performance**” का तात्पर्य Accomplishment of the project in terms of Standards, Quality, SLA for implementation, maintenance and support से होगा।

“**Period of Agreement**” का तात्पर्य Implementation period for 2 years with AMC (including warranty period) from the date of final acceptance of the Project से होगा।

“**Rates/Prices**” का तात्पर्य prices of supply of equipment and services quoted by the BIDDER in the Commercial Bid submitted by him and/or mentioned in the Contract से होगा।

“**Services**” का तात्पर्य The work to be performed by the BIDDER pursuant to this Contract से होगा।

“**Site**” का तात्पर्य The location(s) for which the Contract has been issued and where the service shall be provided as per Agreement से होगा।

“**Solution Implementer**” का तात्पर्य The selected BIDDER.

“**SWAN**” का तात्पर्य State Wide Area Network से होगा।

“**Tenderer**” का तात्पर्य The authority issuing this Request for Proposal (RFP) and the authority under which infrastructure is to be implemented, operated, managed etc. and this authority shall be the Government of Bihar से होगा।

“**Termination notice**” का तात्पर्य The written notice of termination of the Agreement issued by one party to the other in terms hereof से होगा।



State Health Society, Bihar



2.2 निविदादाताओं की पात्रता

वर्तमान रूचि की अभिव्यक्ति के लिए निविदादाताओं को निम्नांकित पात्रता/अर्हता प्रमुख रूप से रखनी है अर्थात् निम्नांकित शर्तों के पूरे होने के उपरांत ही इस रूचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित हुआ जा सकेगा।

(क) निविदादाता एक व्यक्ति या स्थानीय उद्यमी या बिडिंग कम्पनी, या पंजीकृत सोसाईटी, साझेदारी फर्म अथवा Consortium (जिसमें एक कम्पनी को लीड मेम्बर के रूप में सम्मिलित होना होगा) के रूप में वर्तमान रूचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं। निविदादाता निम्न में से कोई भी एक संस्था को सकती है:-

- कम्पनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी (Stand alone अथवा bidding consortium के लीड मेम्बर के रूप में)।
- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित सोसाईटी।
- पंजीकृत प्रोपराईटरसिप फर्म
- पंजीकृत पार्टनरसिप फर्म
- लिमिटेड लाईबरिटी पार्टनरसिप फर्म
- स्थानीय थाना/पुलिस अधीक्षक से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त कोई भी व्यक्ति अथवा स्थानीय उद्यमी।
- कन्सोर्टियम के मामले में प्रत्येक सदस्यों के बीच में अधिकारिक अनुबंध होना आवश्यक है।

(ख) निविदादाता को भारत की किसी भी सरकारी संस्था अथवा सरकार के द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए किसी भी तरह की काली सूची में नहीं डाला जाना अनिवार्य है (कम से कम तीन वर्षों के लिए मार्च 2013 तक)। इस आशय का शपथ-पत्र निविदादाता को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) निविदादाताओं के पास वैध सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं आयकर विभाग द्वारा दिया गया पैन नम्बर होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति निविदादाता हो तो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर की उपलब्धता/अनुपलब्धता से निविदा प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

(घ) निविदादाता की प्रत्येक संबंधित जिले में स्थानीय पता होना अनुबंध हस्ताक्षरित होने के 15 दिनों के अन्दर होना अनिवार्य है।

(ङ) कन्सोर्टियम के मामले में लीड मेम्बर का वाहन रख-रखाव, सपोर्ट वाहन, जी०पी०एस०आदि सभी प्रकार की जिम्मेदारी रहेगी। इस आशय का शपथ-पत्र निविदादाता को संलग्न करना आवश्यक होगा।



State Health Society, Bihar



नोट:- उपरोक्त वर्णित अर्हताओं के समर्थन में आवश्यक कागजात निविदादाता को उपलब्ध करवाने होंगे।

2.3 सामान्य नियम एवं शर्त:-

- (i) उप-संविदा/सब-कंक्ट्राक्टिंग किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होगी।
- (ii) यदि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार में निविदादाता के किसी भी तरह के रिश्तेदार स्थायी अथवा संविदागत पदों पर कार्यरत हैं तो निविदादाताओं को निविदा भरने के समय इसकी घोषणा करनी पड़ेगी।
- (iii) यदि चयनित निविदादाता वाहनों को ससमय जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध नहीं कराती है तो निश्चित समय-सीमा में उन्हें चयन मुक्त करने की कारवाई की जायेगी।

मूलतः निविदादाता को एक वातानुकूलित बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो सालों के लिए चलाने के लिए उपलब्ध कराना होगा।

- (iv) प्रयोग में लाये जाने वाला कोई भी वाहन 31.03.2014 तक एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एवं उनका परिचालन 15000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- (v) सारी वाहनों का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
- (vi) एम्बुलेन्स चालकों का व्यवसायिक लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- (vii) ई०एम०टी० को चिकित्सकीय आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार देने के लिए अपेक्षित योग्यता होना आवश्यक है।
- (viii) सारे एम्बुलेन्स में ISO/GPS उपकरण लगा होना आवश्यक है। इसकी तकनीकी अर्हता राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (ix) एम्बुलेन्स 24x7 घंटे दो वर्षों के लिए कार्यरत होगी।
- (x) सरकार के द्वारा प्रत्येक एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता को रु० 25,000/- की दर से प्रत्येक महीने भुगतान किया जायेगा। सेवा चयनित श्रेणी के मरीजों के लिए पूर्ण रूपेण मुफ्त होगी। सेवा प्रदाता को प्रत्येक महीने 100 किलोमीटर एम्बुलेन्स मुफ्त चलाना होगा। 100 किलोमीटर के उपरांत परिचालन किये जाने पर प्रत्येक 01 किलोमीटर पर रु० 10/- सरकार के द्वारा भुगतये होगी। एम्बुलेन्स के द्वारा प्रत्येक परिचालन केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर से अधिकृत किय जाने पर ही किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र परिचालन/GPS बन्द किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा एवं उक्त परिस्थिति में परिभाषित अंकित दण्ड सेवा प्रदाता पर लगाया जायेगा। एम्बुलेन्स के परिचालन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी लिखित रूप से यह प्रमाणित करेंगे कि



State Health Society, Bihar



ट्रांसपोर्ट किये जा रहे मरीज स्वीकृत श्रेणी यथा 1. गर्भवती माता, 2. नवजात शिशु, 3. वरिष्ठ नागरिक, 4. दुर्घटनाग्रस्त मरीज (प्रथम ट्रांसपोर्टेशन), 5. गरीबी रेखा से नीचे के मरीज एवं 6. कालाजार रोगी में से एक हैं।

- (xi) ऑफ रोड होने की स्थिति में किसी भी तरह की राशि भुगतने नहीं होगी।
- (xii) प्रत्येक माह सेवा प्रदाता को 100 किलोमीटर परिचालन के लिए कोई भी राशि भुगतान नहीं किया जायेगा। तदोपरान्त प्रत्येक परिचालित किलोमीटर पर रु० 10/- प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा। यहाँ पर यह वर्णित करना आवश्यक है कि रु० 10/- प्रति किलोमीटर का दर मरीज के एम्बुलेन्स में बैठने के केन्द्र बिन्दु से अस्पताल में उतरने की दूरी तक भुगतने/मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य परिचालित दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा। सारे एम्बुलेन्स में जी०पी०एस०का होना अनिवार्य है। इन्टरनेट बेस्ड सी०डी०आर० एवं संधारित लॉग बुक का मिलान भुगतान पूर्व किया जायेगा। यदि किसी परिस्थिति में जी०पी०एस० बन्द/खराब पाया जाता है ता न सिर्फ किसी भी तरह के परिचालन पर भुगतान नहीं किया जायेगा परन्तु सेवा प्रदाता पर कड़े अर्थ दण्ड लगाये जायेंगे।
- (xiii) चयनित श्रेणी के मरीजों के अलावे किसी भी अन्य तरह के मरीजों के लिए यह सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। यहाँ महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिस्थिति में मरीजों से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जा सकेगी। अगर राशि लिये जाने की बात जिला स्वास्थ्य समिति/राज्य स्वास्थ्य समिति के संज्ञान में प्राप्त होती है तो वृहत अर्थ दण्ड के साथ सेवा प्रदाता से अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा। वाहनों के रख-रखाव एवं ईंधन आदि पर खर्च सेवा प्रदाता द्वारा किये जायेंगे।
- (xiv) सभी एम्बुलेन्स में ई०एम०टी०, दवा एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहेंगे।
- (xv) निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की राशि भुगतने नहीं होगी।
- (xvi) जिला स्वास्थ्य समिति/राज्य स्वास्थ्य समिति निविदादाताओं से अतिरिक्त जानकारी माँगने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- (xvii) संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति निविदादाताओं से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रस्तावों का शार्ट लिस्टिंग करेगी। वाहनों के नये होने को प्राथमिकता दी जायेगी।

सेवा स्तर समझौता

जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा जुर्माने की राशि सेवा प्रदाता से वसूल की जायेगी। किसी भी दावे के अभाव में, यह सुरक्षा जमा से बरामद किया जा सकता है। सेवा प्रदाता अनुबंध अवधि के दौरान एम्बुलेन्स की व्यापक बीमा सुनिश्चित करायेंगे। सुरक्षा जमा की राशि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित की जायेगी।



State Health Society, Bihar



क्र.सं०	जुर्माना राशि की विवरणी	जुर्माना राशि	
1.	Permissible Response Time : शहरी क्षेत्र- 20 min ग्रामीण क्षेत्र- 30 min	अगर Permissible Response Time 150 Minute cumulatively/Ambulance/Month होती है तो मासिक मूल्य का एक प्रतिशत प्रत्येक 10 मिनट पर जुर्माना लगेगा	
2.	Ambulance remains non operative over and above the maintenance schedule.	कोई राशि भुगतने नहीं होगी।	
3.	Off road without permission from concerned authority	समानुपातिक दर से राशि कटौती की जायेगी।	
4.	Any shortfall/ default found on inspection by District Health Society	1.Poor General cleanliness/ Ambulance body	Penalty of Rs 100/- 1 st time for maintenance
	authorized representatives. District	2. Hygienic storage of Medical/ non medical consumables 3. Non availability of Medical/ non medical consumables as per the enclosed list at Annexure 4. Non functioning of any Equipments 5. Proper updated maintenance of log book, stock register, PCR record, vehicle maintenance record as prescribed by DHS, Bihar	प्रत्येक त्रुटि पर 500/- प्रति त्रुटि के दर से राशि कटौती की जायेगी।
5.	Ambulances are not operational due to strike by Ambulance staff / management, non-payments, short of funds or any unacceptable reasons.	समानुपातिक दर से राशि कटौती की जायेगी।	
6.	Submission of information desired by DHS, in stipulated time frame.	200/- का अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।	
7.	यदि किसी भी एम्बुलेन्स में जी०पी०एस० बन्द अथवा खराब पाया जाता है तो 1000/- प्रतिदिन की दर से राशि कटौती की जायेगी। सात दिनों तक जी०पी०एस० बन्द अथवा खराब रहने की स्थिति अनुबंध रद्द कर दिया जा सकेगा।		



State Health Society, Bihar



रख-रखाव विवरणी

S. No.	मरम्मत सूचकांक	निर्धारित समय-सीमा	
MINOR REPAIR			
1	Tyre Puncture	No up time	
2	Tyre Replacement (4 + 1)	4-6 Hours	
3	Washing and Greasing	4 Hours	
4	Leaf Spring Failures	8 hours	
5	Complete suspension	2 Days	
6	Brake problem and repair	1 Day	

7	Engine and Gearbox Minor repair job	1 Day	
8	Engine overhauling	7 Days	
9	Self Starter failures	1 Day	
10	Clutch Repair Job	1 Day	
PREVENTIVE MAINTENANCE			
11	Schedule Service	2 Days	
MAJOR REPAIR			
12	Minor accident	1week	
13	Major accidents	1 Month/ as per inspection report submitted by CS's office.	
14	Refurbishment Minor	7 days	
15	Refurbishment Major	1 Month (after permission). In case of new ambulance after 2 years.	
16	Poor Parts availability in case of any model	In case of non-availability of parts, SERVICE PROVIDER will inform the concerned DHS, and it will be verified by concerning authority of DHS, who will verify the facts and accordingly extra time may be granted.	



State Health Society, Bihar



इसके अतिरिक्त वाहनों के सामान्य रख-रखाव हेतु प्रत्येक माह एक दिन दिया जायेगा। उक्त कार्य दिवस हेतु किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी।

निविदादाता अपने प्रस्ताव को मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 22/09/2014 तक अपराहन 3.00 बजे तक संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति में भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर **बेसिक लाईफ सपोर्ट निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के परिचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति** अंकित करते हुए सभी कागजातों के साथ निर्धारित पते पर ससमय भेजना/जमा करना आवश्यक है।

कोई भी अतिरिक्त जानकारी 07488270145 पर सम्पर्क स्थापित कर कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



State Health Society, Bihar



Annexure:

1.	सेवा प्रदाता का नाम	
2.	निबंधित कार्यालय का पता / स्थानीय पता Telephone Number Fax Number (in any) e-mail(in any)	
3.	वर्तमान/स्थानीय पता	
4.	Details of Contact person (Name, designation, address etc.) Telephone Number Fax Number (in any) e-mail(in any)	
5.	कार्य का अनुभव (वर्षों में)	
6.	कार्यालयों की संख्या / Project Locations (in any)	
7.	यदि पटना में स्थानीय कार्यालय है, तो उसकी विवरणी दें।	
8.	क्या आपने पुलिस अधीक्षक/स्थानीय पुलिस थाना द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र जमा किया?	



State Health Society, Bihar



List of Consumables for BLS Ambulances

Sl. No.	Item
1.	Absorbant Cotton Wool
2.	Bandage (a) 15cm (b) 10cm (c) 6cm
3.	Providone Iodine Solution
4.	Leucoptast
5.	Pain Spray
6.	Surgical Gloves
7.	G.V. Paint
8.	IV. Fluids
9.	Micro drip-set & Dip-set
10.	Nasogastric Tubes
11.	Bum Pack : Standard package, clean burn sheets (or towels for children)
12.	Gauze rolls Sterile (various sizes)
13.	Elastic bandages Non-sterile {various sizes}
14.	Waste bin for sharp needles, etc.
15.	Disposable bags for vomiting, etc.
16.	Teeth guard

न्यूनतम एम्बुलेंस Rescue equipment for BLS Ambulance

प्रत्येक BLS Ambulance में अतिरिक्त उपकरण रखने की सूची निम्नवत है:

- Hammer, one four pound with 15 inch handle.
- One axe
- Wrecking Bar, minimum 24-inch (bar and 1 w preceding items can either be separate or combined as a forcible entry tool).
- Crowbar, minimum 48 inches, with pinch point.



State Health Society, Bihar



Ambulance EOI to be submitted at respective district

S.No.	Name of District	Address of DHS	Concerned Person
1	अररिया	जिला स्वास्थ्य समिति, अररिया	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003030
2	अरवल	जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003045
3	औरंगाबाद	जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003061
4	बांका	जिला स्वास्थ्य समिति, बांका	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003073
5	बेगुसराय	जिला स्वास्थ्य समिति, बेगुसराय	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003084
6	भागलपुर	जिला स्वास्थ्य समिति, भागलपुर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003118
7	भोजपुर	जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003146
8	बक्सर	जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003163
9	दरभंगा	जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003245
10	पूर्वी चम्पारण	जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003180 9471039705
11	गया	जिला स्वास्थ्य समिति, गया	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003278
12	गोपालगंज	जिला स्वास्थ्य समिति, गोपालगंज	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003322
13	जमुई	जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 947000333
14	जहानाबाद	जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003329
15	कैमूर	जिला स्वास्थ्य समिति, कैमूर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003354
16	कटिहार	जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003366
17	खगड़िया	जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003391
18	किशनगंज	जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003399



State Health Society, Bihar



19	लखीसराय	जिला स्वास्थ्य समिति, लखीसराय	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003417
20	मधेपुरा	जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003419
21	मधुबनी	जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003434
22	मुंगेर	जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003466
23	मुजफ्फरपुर	जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003500
24	नालन्दा	जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003507
25	नवादा	जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003536
26	पटना	जिला स्वास्थ्य समिति, पटना	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003600
27	पुर्णियाँ	जिला स्वास्थ्य समिति, पुर्णियाँ	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003627 9431229035
28	रोहतास	जिला स्वास्थ्य समिति, रोहतास	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003640
29	सहरसा	जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003675
30	समस्तीपुर	जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003701
31	सारण	जिला स्वास्थ्य समिति, सारण	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003720
32	शेखपुरा	जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003730
33	शिवहर	जिला स्वास्थ्य समिति, शिवहर	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003740
34	सीतामढ़ी	जिला स्वास्थ्य समिति, सीतामढ़ी	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003747
35	सिवान	जिला स्वास्थ्य समिति, सिवान	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003788
36	सुपौल	जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003790
37	वैशाली	जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003807
38	प0 चम्पारण	जिला स्वास्थ्य समिति, प0 चम्पारण	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, 9470003201